संख्या-12/2016/2812 ई-2/तेरह-2015-86/2015

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 02 मार्च,2016

विषय:-मे0 किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सठियाँव, आजमगढ. को 30 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 90 लाख लीटर प्रतिवर्ष क्षमता की आसवनी स्थापना हेतु पी0डी0-33 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-102/दो-प्रा0डी0-161, दिनांक 28 सितम्बर,2015 तथा पत्र संख्या-जी0-232/दो-प्रा0डी0-161, दिनांक 15 दिसम्बर,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मे0 किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सठियाँव, आजमगढ. को 30 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 90 लाख लीटर प्रतिवर्ष क्षमता, जिसके अन्तर्गत 45 लाख लीटर वार्षिक क्षमता के अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं 45 लाख लीटर वार्षिक क्षमता का ई0एन0ए0 प्लान्ट स्थापित करने तथा उक्त के अन्तर्गत बाजार की मांग के अनुसार शोधित आसव, ई0एन0ए0, डिनेचर्ड स्प्रिट/स्पेशली डिनेचर्ड एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल के विक्रय के लिये आसवनी स्थापना हेतु पी0डी0-33 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा आसवनी स्थापना हेतु श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग तथा केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में अद्यतन विहित एवं प्रवर्तित नियमों/व्यवस्था/प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय]
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in